



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिस्ट्रल कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com

केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ (राज.)

फोन न0:-01509-238056, 238296 (ऑफिस), फैक्स:-01509-238027

पत्रांक-सी.एस.एफ./सर./ 35 / कृषि / 2018-19-

दिनांक:-

अल्पकालीन निविदा-सह-नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) के अधिकार में निम्नलिखित पक्की डिग्गीयों/जलाशयों को मछली पालने निविदा-सह-नीलामी नियम के अन्तर्गत 2 वर्ष 2018-19 व 2019-20 (अवधि निविदा-सह-नीलामी दिनांक से 31 मार्च 2020) की अवधि हेतु ठेके पर देने का प्रस्ताव है ।

ठेका न0	जलाशय का प्रकार	ब्लॉक/चक संख्या	जलाशय का आकार लम्बाई X चौड़ाई X गहराई	जलाशयों की संख्या	धरोहर राशि रूपयों में (अंको व शब्दों में)
1	पक्की डिग्गी	40 पी बी एन	100 X 100 X 4.5 मीटर	01	रु0 20,000.00 (रु0बीस हजार मात्र)
2	पक्की डिग्गी	42 पी बी एन	250 X 100 X 4.5 मीटर	01	रु0 20,000.00 (रु0बीस हजार मात्र)
3	पक्की डिग्गी	44 पी बी एन	50 X 50 X 4.5 मीटर	02	रु0 20,000.00 (रु0बीस हजार मात्र) दोनों डिग्गीयों के लिए।
4	पक्की डिग्गी	45 पी बी एन	150 X 100 X 4.5 मीटर	01	रु0 20,000.00 (रु0बीस हजार मात्र)
5	पक्की डिग्गी	49 ए पी बी एन	250 X 250 X 4.5 मीटर	01	रु0 20,000.00 (रु0बीस हजार मात्र)

उपरोक्त जलाशयों में मछली बीज डालना,पालने का ठेका 2 वर्ष 2018-19 व 2019-20 (अवधि निविदा-सह-नीलामी दिनांक से 31 मार्च 2020 तक) के लिये देने हेतु निविदायें दिनांक 23.10.2018 तक दोपहर 1.00 बजे तक टेण्डर दिये जायेगे तथा दोपहर 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो कि दिनांक 23.10.2018 को अपराह्न 3.30 बजे खुली बोली नीलामी प्रक्रिया के पश्चात् टेण्डर खोली जाएगे। इच्छुक व्यक्ति/समूह/फर्म आदि निविदा-सह-नीलामी में भाग लेने हेतु आमंत्रित है।

नियम व शर्तों का विवरण तथा निविदा प्रपत्र(टेण्डर फार्म) किसी भी कार्य दिवस में रु0 200/- (नॉन रिफन्डेबल) देकर फार्म कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र विभागीय वेबसाइट www.indiaseeds.com से भी लिया जा सकता है। परन्तु डाउनलोड प्रपत्र के साथ निविदा शुल्क रु0 200/- (नॉन रिफन्डेबल) का बैंक ड्राफ्ट लगाकर जमा करना होगा। प्रत्येक ठेके के लिये उपरोक्त वर्णित निश्चित धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि 'नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सरदारगढ़, के नाम से सुरतगढ़, में देय हो निविदा के साथ संलग्न करना होगा। नीलामी की खुली बोली में भाग लेने के लिये नीलामी से पूर्व निश्चित धरोहर राशी का डिमाण्ड ड्राफ्ट फार्म एवम् नियम व शर्तों के अनुसार पैन कार्ड,आधार कार्ड, पहचान पत्र, अन्य आवश्यक सबूतों आदि की प्रतिलिपि सहित जमा करवाना होगा।

सहा0 महाप्रबन्धक (उत्पादन)
कृते निदेशक

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का संस्थान)

केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ (राज.)

फार्म में पक्की डिग्गी व कच्ची डिग्गी / जलाषयों में मछली पालने व बेचने के लिए अल्पकालीन निविदा-सह-नीलामी हेतु नियम व शर्तें

1. केन्द्रीय राज्य फार्म सरदारगढ के अधिकार में उपलब्ध निम्न लिखित जलाषयों/कच्ची-पक्की डिग्गीयों में मछली पालने व बेचने हेतु ठेका न0 1 से 5 तक का 2 वर्ष की अवधि निविदा-सह-नीलामी दिनांक से 31 मार्च 2020 तक का ठेका निश्चित किया गया है जलाषयों का विवरण निम्न प्रकार है।

ठेका न0	जलाशय का प्रकार	ब्लॉक/चक संख्या	जलाशय का आकार लम्बाई x चौड़ाई x गहराई	जलाशयों की संख्या	धरोहर राशि रूपयों में (अंको व शब्दों में)
1	पक्की डिग्गी	40 पी बी एन	100 x 100 x 4.5 मीटर	01	रु0 20,000.00 (रु0बीस हजार मात्र)
2	पक्की डिग्गी	42 पी बी एन	250 x 100 x 4.5 मीटर	01	रु0 20,000.00 (रु0बीस हजार मात्र)
3	पक्की डिग्गी	44 पी बी एन	50 x 50 x 4.5 मीटर	02	रु0 20,000.00 (रु0बीस हजार मात्र) दोनो डिग्गीयों के लिए।
4	पक्की डिग्गी	45 पी बी एन	150 x 100 x 4.5 मीटर	01	रु0 20,000.00 (रु0बीस हजार मात्र)
5	पक्की डिग्गी	49 ए पी बी एन	250 x 250 x 4.5 मीटर	01	रु0 20,000.00 (रु0बीस हजार मात्र)

2. प्रत्येक ठेके के लिये निर्धारित धरोहर राशि का डी0 डी0 जो 'नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, सरदारगढ के नाम से , सुरतगढ देय हो, निविदा के साथ संलग्न करना होगा। धरोहर राशि, कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के बाद बिना ब्याज के लौटा दी जाएगी।
3. धरोहर राशि के लिये चैक या लिफाफे में रखी गयी नगद राशि मान्य नहीं होगी साथ ही यदि धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट निश्चित राशि से कम जमा कराया जाता है तो निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा।
4. निविदादाता को निविदा जमा कराने के पश्चात् उसे वापस लेने या दरों में संशोधन करने का अधिकार नहीं होगा।
5. मछली पालन का कार्य ठेका न01 से 5 तक की अवधि 2 वर्ष (अवधि निविदा-सह-नीलामी दिनांक से 31 मार्च 2020 तक) के लिए दिया जायेगा। अन्तिम तिथि के पश्चात ठेकेदार का सम्बन्धित जलाषय/जलाषयों पर कोई अधिकार नहीं होगा।
6. ठेका न0 1 से 5 तक सफल बोलीदाता/निविदादाता की बोली समाप्त होते ही स्वीकृत राशि की 25 प्रतिशत राशि 7 दिवस के अन्दर जमा करानी होगी, 50 प्रतिशत अगले 30 दिवस में तथा शेष बची राशि 60 दिवस के अन्दर जमा करानी होगी। सफल निविदादाता/बोलीदाता द्वारा प्रथम चौथाई राशि जमा कराने के बाद अन्य निविदादाताओं की अमानत राशि बिना ब्याज के लौटाई जायेगी।
7. सफल निविदा/बोलीदाता को निविदा राशि का 10 प्रतिशत की दर से प्रतिभुति राशि 15 दिवस में जमा करानी होगी जो कि ठेका समाप्त होने पर सम्बन्धित अधिकारी की संस्तुति पर बिना ब्याज वापिस कर दी जायेगी।
8. सफल निविदा/बोलीदाता द्वारा ठेका किसी अन्य ठेकेदार को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
9. निविदादाता द्वारा दी गई सषर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
10. निविदा खोलने के बाद किसी प्रकार की निविदा एवम् फैक्स व पत्र/ईमेल मान्य नहीं होगा।
11. ठेकेदार द्वारा मछली पकड़ने/रखवाली करने के लिए जो आदमी लगाये जाएंगे उनकी सूची पते व मोबाइल नं0 सहित इस कार्यालय को देनी होगी। इस कार्यालय द्वारा सामयिक आज्ञा-पत्र जारी किया जाएगा। आज्ञा-पत्र के बिना कोई भी व्यक्ति फार्म में मछली पकड़ने हेतु दाखिल नहीं होगा।
12. डिग्गीयों में मछली का बीज डालने, पालन-पोषण, उसकी समस्त देखभाल करने तथा सुरक्षा करने व अन्य समस्त कार्यों की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

13. ठेकेदार को मात्र ठेके पर दिये गये जलाषयों/तलाबों से ही मछली पकड़ने का अधिकार होगा। फार्म में अन्यत्र असम्बन्धित गतिविधियां,कार्यकलापों में व्यवधान/हस्तक्षेप,आग जलाना,मवेशी पालना,कोई निर्माण कार्य या फार्म के संसाधन का अनाधिकृत प्रयोग आदि समस्त कार्य जो भी उसके ठेके से सम्बन्धित न हो उनमें परोक्ष या अपरोक्ष रूप से संलिप्त होने का अधिकार नहीं होगा। ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर फार्म प्राधिकारी द्वारा निश्चित किया गया जुर्माना अदा करना होगा तथा/अथवा उसका ठेका निरस्त कर उसका फार्म में प्रवेश निषेध किया जा सकता है तथा इस दषा में उसकी समस्त जमा राशियां जब्त कर ली जायेगी।
14. यदि मछली पकड़ने पर टैक्स/चूँगी या कोई भी कर, परमिट आदि लागू होगा तो उसका प्रबन्ध/ भुगतान ठेकेदार को स्वयं ही अपने खर्च पर करना होगा।
15. डिग्गीयों में पानी की व्यवस्था फार्म द्वारा की जायेगी किन्तु साधारणतय: डिग्गीयों में संचयित पानी में से ऊपर से लगभग 11 फीट स्तर तक का पानी फसल उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाता रहेगा। शेष बचा हुआ पानी 4 फीट स्तर तक डिग्गी में पानी मछली उत्पादन के लिए बना रहेगा किन्तु नहर बन्दी अथवा नाली फ्लड समय पर न आने से डिग्गी में पानी का स्तर यदि 4 फीट से कम होता है तो इसके लिए फार्म प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी व मछली पकड़ने का कार्य डिग्गी में पानी कम होने पर ही किया जायेगा।
16. ठेकेदार को ठेके पर दिये गये जलाषयों में पानी की सतह कम या अधिक होने या सूख जाने के कारण मछली न होने या न पकड़ सकने के कारण तथा अन्य किसी प्राकृतिक व अप्राकृतिक कारणों से होने वाले नुकसान आदि के लिये किसी प्रकार का हर्जाना अथवा मुआवजा या छूट प्राप्त करने हेतु किसी न्यायलय में दावा आदि करने का अधिकार नहीं होगा।
17. मतस्य बीज संग्रहण,मछली पालन एवम पकड़ना,मछली फार्म से बाहर ले जाना इत्यादि सभी कार्य दिन के उजाले में ही करने होंगे। रात्रि में मात्र मछलियों की सुरक्षा हेतु प्रतिनिधि रखने का अनुरोध सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त ही स्वीकार किया जा सकता है।
18. किसी भी वाहन द्वारा मछली की ढुलाई करने हेतु फार्म के सम्बन्धित अधिकारी का गेट पास अनिवार्य होगा।
19. मछली पकड़ने के लिए जाल की व्यवस्था तथा इन्हें लाने ले जाने के लिए परिवहन का प्रबन्ध ठेकेदार को करना होगा।
20. ठेके की अवधि के दौरान ठेकेदार अथवा उसके कामगारों द्वारा फार्म की किसी भी चल/अचल सम्पति तथा फसलों को नुकसान किया तो उसकी भरपाई ठेकेदार से की जायेगी तथा उसका ठेका रद्द कर दिया जायेगा।
21. ठेकेदार को मतस्य विभाग द्वारा जारी दिषा निर्देशों की पालना करनी होगी तथा निविदादाता को राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान मीन अधिनियम 1953 व 1958 तथा समय समय पर संशोधित नियमों के अन्तर्गत बनायी गयी सभी धाराओं व नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ेगा।
22. ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि द्वारा फार्म में किसी प्रकार का षिकार या जंगली जानवरों को मारने,घायल करने या परेषान करने का कार्य निषिद्ध है।ऐसा करने पर वे स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा कानून के अनुसार दण्ड के भागी होंगे।
23. ठेकेदार द्वारा फार्म के नियम व शर्तों की पालना नहीं करने पर उसका ठेका रद्द कर दिया जायेगा। तथा ठेकेदार की धरोहर राषि व अन्य जमा राषि जब्त कर ली जायेगी।
24. निविदा/बोलीदाता द्वारा अपने पहचान पत्र/राषन कार्ड तथा पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करनी होगी। अपूर्ण पते के अभाव मे यदि कोई पत्र आदि सूचना निविदा/बोलीदाता के पास नहीं पहुंचती है तो फार्म की जिम्मेवारी नहीं होगी।
25. फार्म अधिकारी को निविदा/निलामी को बिना कारण बताये अस्वीकृत/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

26. यदि ठेकेदार का आचरण उचित न हो या फार्म के हित में न हो तथा उसे बार बार चेतावनी देने पर भी वह ठेके की शर्तों का पालन न करता हो तब ऐसी दशा में फार्म प्राधिकारी को अधिकार होगा कि ठेके की शर्त संख्या 23 के अनुसार ठेका निरस्त कर ठेकेदार को निष्चित अवधि के लिये ब्लैकलिस्ट कर निगम के फार्मों पर ठेके लेने के अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
27. विलम्ब से जमा की जाने वाली राशि पर 18 प्रतिशत की दर से अधिकतम एक माह तक के लिए ब्याज सहित पूर्ण रकम जमा करने का समय होगा। निर्धारित समय सीमा तक राशि जमा न करने पर समस्त जमा राशि (मय धरोहर राशि) को जब्त कर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। इसके बाद पुनः निविदा/निलामी में यदि कम निविदा दर आने पर नुकसान होता है तो उसकी ठेकेदार से भरपाई की जायेगी।
28. रू.100/- के स्टाम्प पर नियम व शर्तों का अनुबन्ध मय दो गवाहों के हस्ताक्षर व पूर्ण पते के साथ देना होगा।
29. किसी प्रकार का मतभेद या विवाद होने पर मामले को राष्ट्रीय बीज निगम लि० के माननीय अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक या उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि के समक्ष निपटान हेतु पेश किया जाएगा जिसका फैसला अंतिम होगा व दोनो पक्षों को मान्य होगा, फिर भी विवाद होने पर न्याय हेतु सूरतगढ़ न्यायालय क्षेत्र ही मान्य होगा।

घोषणा:-

मैंने फार्म में मछली ठेके की निविदा-सह-निलामी की शर्तें पढ़ ली हैं। उक्त सभी शर्तें मुझे मान्य हैं तथा हस्ताक्षर मैंने अपनी रजामन्दी से, बिना किसी दबाव के पूर्ण होषोहवास में किये हैं। मेरे द्वारा सभी शर्तें स्वीकार की गई हैं तथा यह शर्तें केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ के साथ मेरे द्वारा किये गये अनुबन्ध का भाग मानी जायेगी।

स्थान.....

निविदा/बोलीदाता के हस्ताक्षर
दिनांक.....



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिस्ट्रल कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ (राज.)
फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)
Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsfsg@gmail.com, agricsfsg@gmail.com

केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ

निविदा प्रपत्र

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक सी.एस.एफ./सर./35/कृषि/2018-19 दिनांक

निविदा भेजने हेतु पता:- निदेशक (फार्म)
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ
जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

निविदा खोलने की दिनांक:- 23.10.2018 स्थान:- केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ

विषय:- केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) के अधिकार में उपरोक्त निविदा विज्ञप्ति में सन्दर्भित निम्नलिखित जलाशयों/कच्ची/ पक्की डिग्गीयों को मछली पालने व बेचने हेतु टेका न0 1 से 5 तक के लिए 2 वर्ष की अवधि निविदा-सह-निलामी दिनांक से 31 मार्च 2020 तक के लिये टेके पर लेने हेतु निविदा प्रपत्र।

1. निविदादाता का नाम :-.....
2. पिता/पति का नाम :-.....
3. पूरा पता :-.....
4. दूरभाष/मो0 नम्बर :-.....
5. पैन नम्बर :-.....(प्रतिलिपि संलग्न करें)
6. पहचान पत्र नम्बर(वोटर आई डी, आधार कार्ड आदि).....
(प्रतिलिपि संलग्न करें)
7. निविदा शुल्क(रु.200/-) रसीद संख्या.....दिनांक.....अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या.....दिनांक.....

निविदा राषि प्रस्ताव(टेण्डर ऑफर)

केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) के अधिकार में सन्दर्भित निम्नलिखित जलाशयों/कच्ची/ पक्की डिग्गीयों को मछली पालने व बेचने हेतु टेका न0 1 से 5 तक के लिए 2 वर्ष की अवधि निविदा-सह-निलामी दिनांक से 31 मार्च 2020 तक के लिये टेके पर लेने हेतु दर निम्न विवरण अनुसार प्रस्तुत है।

ढेका न0	जलाशय का प्रकार	ब्लॉक/चक संख्या	जलाशय का आकार लम्बाई X चौड़ाई X गहराई	जलाशयों की संख्या	ढेका अनुसार निविदा मुख्य प्रस्ताव (Tender Offer) (रूपयों में)
1	पक्की डिग्गी	40 पी बी एन	100 X 100 X 4.5 मीटर	01	
2	पक्की डिग्गी	42 पी बी एन	250 X 100 X 4.5 मीटर	01	
3	पक्की डिग्गी	44 पी बी एन	50 X 50 X 4.5 मीटर	02	
4	पक्की डिग्गी	45 पी बी एन	150 X 100 X 4.5 मीटर	01	
5	पक्की डिग्गी	49 ए पी बी एन	250 X 250 X 4.5 मीटर	01	

धरोहर राषि का विवरण:-

निविदा विज्ञप्ति के अनुसार जमा किये गये/किये जाने वाली राषि का विवरण:-

ढेका नम्बर	बैंक ड्राफ्ट न0 एवं दिनांक	जारी करने वाले बैंक का नाम एवं शाखा का पता	धरोहर राषि रूपयों में (अकों व शब्दों में)
1			रू0 20,000.00 (रू0बीस हजार मात्र)
2			रू0 20,000.00 (रू0बीस हजार मात्र)
3			रू0 20,000.00 (रू0बीस हजार मात्र) दोनो डिग्गीयों के लिए।
4			रू0 20,000.00 (रू0बीस हजार मात्र)
5			रू0 20,000.00 (रू0बीस हजार मात्र)

(उपरोक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न किये जायें)

मैं/हम यह प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि उपरोक्त निविदा की सभी शर्तें पढ़ व समझ ली है। मुझे/हमें सभी शर्तें मान्य है। शर्तों की प्रतिलिपि पर हस्ताक्षर कर तथा संलग्न कर पूर्ण सहमति से निविदा प्रेषित हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर
(नाम व पूरा पता)

.....
.....
.....
.....

मो0 न0.....